कोलम्बो सम्मेलन की प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : प्वाइंट आफ आर्डर । प्रधान मंत्री जो यह प्रस्ताव रखने जा रहे है मैं उससे पहले ही अपना प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हुं ।

अध्यक्ष महोदय : उससे पहले यह नहीं हो सकता ।

श्री राम सेवक यादव : मैं इसलिए पहले अपना प्वाइंट आफ आर्डर रखना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव रखा नहीं जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : जिस वक्त वह रख लेंगे उस वक्त मैं आपको वक्त दूंगा कि आप अपना प्वाइंट आफ आर्डर रखें, इस वक्त नहीं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि १० और १२ दिसम्बर, १९६२ के बीच कोलम्बो में हुये छै तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन के प्रस्तावों पर, १२ और १३ जनवरी, १९६३ को भारत के प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों के साथ हुई बैठकों में श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य और घाना के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों सहित, जो २१ जनवरी, १९६३ को सभा को टेबल पर रखे गये थे, विचार किया जाये ।'

श्री राम सेवक यादव : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि नवम्बर में इस माननीय सदन ने इस आशय का प्रस्ताव खड़े हो कर पारित किया था कि जब तक चीनी हमारे देश की पवित्र भूमि के एक एक इंच से खदेड़ नहीं दिए जाते तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे वह जितना लम्बा और कठिन हो और इस प्रस्ताव को जब हम पारित कर चुके है तो उस प्रस्ताव के रहते हुए यह कोलम्बो प्रस्ताव है, और जो इसके बिल्कुल विपरीत जाता है, नहीं आ सकता । मेरा विनम्र निवेदन है कि यह प्रस्ताव उसके विपरीत है इसलिए इसको यहां पेश नहीं किया जा सकता ।

श्री कि० पटनायक : (सम्बलपुर) : मुझे भी कुछ कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई डिसकशन नहीं है । एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाया गया है, उस का जवाब दिया जायेगा ।

पार्लियामेंट एक फैसला ले चुकी है । और अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब प्रस्ताव रखने जा रहे है वह इसलिए कि यही पार्लियामेंट इस पर गौर करे । अभी उन्हों ने कुछ कहा नहीं, बतलाया नहीं कि क्या होगा । पार्लियामेंट को पूरा हक है कि वह अपने किसी फैसले में तबदीली करे । अभी तक तो तबदीली का सवाल ही नहीं है । मगर अगर पार्लियामेंट तबदीली करना भी चाहे तो उस को हक है । इस में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं की जा सकती । प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह नहीं कहा कि मैं बदलता हूं या मैं कोई तबदीली पैदा करता हूं या और कोई चीज लाता हूं । उन्हों ने यही कहा है कि मैं इस को कंसीडर करने के लिए पार्लियामेंट के सामने लाता हूं । तो पार्लियामेंट को हक है कि वह सोचे और गौर करे, या उस ने पहले जो फैसला दिया है उस पर गौर करे । जो चीज पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी उस पर विचार कर सकती है

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

और फैसला दे सकती है । तो आखिरी फैसला पार्लियामेंट का ही होगा । इस प्रस्ताव में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले प्रस्ताव के बखिलाफ हो ।

श्री कि० पटनायक : आज के अखबार में आया है कि प्रधान मंत्री ने इन प्रिंसिपल कोलम्बो प्रोपोज़ल को स्वीकृति दे दी है । अगर यह सही है तो फिर इस पर विचार करना फिजूल है । पहले प्रधान मंत्री साहब यह कहें कि उन्हों ने ऐसा नहीं कहा ।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप उन की स्पीच तो सुनिए कि वह क्या कहना चाहते है ।

श्री कि० पटनायक : पहले आप तो मेरी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी और तब कहा कि आप उनकी स्पीच सुन लीजिए ।

श्री कि० पटनायक : मैं ने अभी खत्म नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप दो घंटे तक खत्म नहीं करेंगे तो यह बात कब तक चलती रहेगी । आप ने जो कहा था उस का जवाब मैं ने दे दिया । मेरी समझ में नहीं आता कि जब लीडर बोलते हैं तो फिर दूसरे मेम्बर क्या कहना चाहते हैं ।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह बैठ जायें ।

श्री कि० पटनायक : मैं ने उस का दूसरा पहलू भी आप के सामने रक्खा जोकि अखबार में आ गया है । आप ने कहा कि पार्लियामेंट का जो निश्चय था उस में कोई तबदीली नहीं हुई है, तो मेरा कहना यह हैं कि पार्लियामेंट ने जो राय रक्खी थी उस के भीतर ही इस बीच में प्रधान मंत्री जी ने कुछ कर दिया है और जोकि पार्लियामेंट के उस निश्चय के खिलाफ है । इस के लिए उन को इस पार्लियामेंट में माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट ने जो निश्चय किया है उस के खिलाफ उन्हों ने कुछ किया है . . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह है कि अभी आप ने कहा कि प्रधान मंत्री जी उस फ़ैसले के खिलाफ़ कोई निर्णय लेने वहीं जा रहे हैं, उस पर कोई निश्चय नहीं करने जा रहे हैं और पार्लियामेंट को हक़ हैं कि वह अपने पुराने निर्णय को बदल सकती हैं तो यह पुराने निर्णय के बदलने का भी प्रस्ताव नहीं है । इस का मतलब यह है कि १४ नवम्बर का प्रस्ताव हमारा जहां था वहीं पर है । इस से तो हमारे इस कथन में कि प्रधान मंत्री जी के मौजूदा प्रस्ताव पर विचार नहीं होना चाहिए और भी शक्ति आ जाती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अध्यक्ष महोदय, मैं हाल में हुई कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि निस्सन्दे है . . . . .

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, विषयान्तर । चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय है और प्रधान मंत्री जी को बड़ी अच्छी हिन्दी आती है इसलिए उन्हें अंग्रेजी में अपना भाषण न कर हिन्दी में करना चाहिए . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी प्रार्थना सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की प्रार्थना तब सुनूं जब आप कोई नई बात कहते हों । हमेशा खड़े हो कर आप नहीं पुरानी हिन्दी में भाषण हों, कहते हैं । इसके अलावा और आप को कुछ कहना नहीं होता है । मैं सुनना नहीं चाहता मैं उन के लीडर से कहूंगा कि इस बात को बंद होना चाहिए । हर दफ़े, हर रोज़ अगर यही चलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : जब तक यहां हिन्दी में नहीं बोलेंगे यह ज़रूर रहेगा । आख़िर इस का मतलब क्या हुआ ? जब देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है और जब हम हिन्दी में भाषण होने के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप हम को दबाना चाहते हैं ? अगर आप की यही नीति है तो आप हिन्दी को कैसे ला सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य नहीं बैठेंगे तो मुझे हिन्दी को तो नहीं लेकिन उन को ज़रुर दबाना पड़ेगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : यह तो मेरे साथ हिन्दी को दबाना है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : हिन्दी को नहीं दबाना है तो फिर हिन्दी बुलवा दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं ?

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री जी हिन्दी, अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में बोलें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्राइम मिनिस्टर और हर एक मेम्बर की अपनी मरज़ी है कि दोनों भाषाओं में से जिस भाषा में वह बोलना चाहें, बोल सकता है । इस वक्त पोज़ीशन यही है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं भी प्रार्थना करता हूं कि हिन्दी में बोलें ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मेम्बर साहब का नाम लूंगा कि वह इस हाउस की बाक़ायदा कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं और इस के आगे जो कार्यवाही होगी वह फिर आयेगी ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आप के जरिए प्रधान मंत्री जी से है और वह यह है कि प्रधान मंत्री जी एक बार पिछली पार्लियामेंट में दोनों भाषाओं में बोले थे और जैसाकि स्वामी जी का कहना है यह महत्वपूर्ण विषय है, उन के भी समझने का प्रश्न है और लाखों और करोड़ों देशवासियों को समझना है इसलिए प्रधान मंत्री जी इस अवसर पर दोनों भाषाओं में बोलें, अंग्रेज़ी में भी बोलें और हिन्दी में भी बोलें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** १० दिसम्बर १९६२ को संसद के पिछले सत्र में चीन के आक्रमण पर चर्चा हुई थी । तथा उस ने सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति का अनुमोदन किया था । तब से कई घटनायें हुई हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

१५ दिसम्बर को भारत और चीन के वाणिज्यिक दूतावास बन्द कर दिये गये । इस दौरान नेफा क्षेत्र से चीनी सेनाओं की वापसी जारी रही यद्यपि चीन द्वारा एकपक्षीय युद्धविराम स्थिति के उल्लंघन की कई सूचनायें मिली हैं । १७ दिसम्बर को चीनियों ने ७१६ बीमार और घायल भारतीय सैनिकों तथा १३ सैनिकों के शव लौटाये । लंका की प्रधान मंत्रिणी श्रीमती भंडायनायक के दूत श्री जी० एस० पीरीज द्वारा कोलम्बो प्रस्ताव नई दिल्ली लाये गये तथा उन्हों ने ये प्रस्ताव प्रधान मंत्री को दिये ।

२६ दिसम्बर १९६२ को चीन और पाकिस्तान द्वारा उन की सीमाओं के सम्बन्ध में सिद्धान्ततः पूर्ण समझौता हो जाने के बारे में एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी ।

चीन और मंगोलिया ने २६ दिसम्बर १९६२ को एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाई न ३० दिसम्बर १९६२ को प्रधान मंत्री के १ दिसम्बर १९६२ के पत्र का उत्तर दिया । प्रधान मंत्री ने इस का उत्तर १ जनवरी १९६३ को भेजा । श्रीमती भंडारनायक ३१ दिसम्बर से ८ जनवरी १९६३ तक पेकिंग रहीं । दिल्ली में घाना प्रतिनिधिमंडल के नेता कोफी अशांटे अफरी आटा, श्रीमती भंडारनायक तथा संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधिमण्डल के नेता श्री अली साबरी दिल्ली आये । १२ और १३ जनवरी १९६३ के बीच दिल्ली में उक्त तीन प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत हुई । १३ जनवरी को एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी ।

चीनी सेनाओं ने १० दिसम्बर १९६२ से पीछे हटना आरम्भ किया था । इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति यह है ।

कमांग सीमांत खंड : राजनैतिक अधिकारी टवांग में २१ जनवरी को पहुंचा, सलाहकार २२ ता० को पहुंचा ।

सुवन्सरी सीमान्त खण्ड : ज्ञात हुआ हैं कि चीनी सभी खंडों से वापस चले गये हैं ।

सिआंग सीमान्त खंड : चीनी सभी इलाकों से वापस चले गये हैं तथा सभी स्थानों में असैनिक प्रशासन शुरु कर दिया गया है ।

लोहित सीमान्त खंड : वालोंग पर पुनः अधिकार कर लिया है । जब तक चीनी किबुटू से पूरी तरह न हटें तब तक के लिए वहां असैनिक प्रशासन लागू करना निलम्बित कर दिया गया है ।

चीनी प्रस्तावों के उत्तर में हम ने सदैव यह कहा है कि हम तब तक कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं जब तक चीनी अपने आक्रमण के पूर्व ८ सितम्बर १९६२ की स्थिति पर नहीं पहुंच जायेंगे । चीनी प्रस्ताव २४ अक्टूबर को मिले थे जिन्हें हम ने अस्वीकार कर दिया था । यह बात सभा के सम्मुख पहिले ही कई बार आ चुकी है । तथा सारी सभा ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : यह बात गलत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को यह आपत्ति है कि संसद् द्वारा पारित संकल्प में ८ सितम्बर १९६२ की लाइन का कहीं जिक्र भी नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस लाइन का उल्लेख संकल्प में इस कारण भी किया गया था कि यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ । हम नवम्बर के संकल्प पर दृढ़ है और सदैव दृढ़ रहेंगे । मेरे विचार से संकल्प को बदलने का कोई अवसर भी नहीं आया है । २४ अक्टूबर को चीनियों ने वह प्रस्ताव रखा जिसे कि त्रिसूत्रीय प्रस्ताव कहते है । हम उससे सहमत नहीं हुए थे और हमने कहा था कि हम उस पर अस्थायी तौर पर भी विचार नहीं कर सकते है । मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि आनुसंगिक घटनाओं से नवम्बर संकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । हमने पिछली बार भी यही कहा था कि सितम्बर की लाइन की स्थिति पर पहुंचने के पहिले हम किसी प्रकार की बातचीत नहीं कर सकते है । हम बाद की घटनाओं पर उसी आधार पर विचार करेंगे ।

१० दिसम्बर को कोलम्बो सम्मेलन आरम्भ हुआ था । वह १० दिसम्बर से १२ दिसम्बर तब मिला । तत्पश्चात यह ज्ञात नहीं हुआ था कि सम्मेलन क्या प्रस्ताव पारित करेगा तथापि सरकार की ओर से इस बात का संकेत दिया गया था कि हम इस मामले पर भी तभी विचार कर सकते है जबकि सितम्बर ८ के पूर्व की स्थिति कायम की जाये ।

कोलम्बो सम्मेलन ने कुछ प्रस्ताव पारित किये तत्पश्चात् वे पेकिंग गये और वहां से दिल्ली आये । उनके मूल प्रस्ताव स्पष्ट नहीं थे तथा उनकी दो या उससे अधिक व्याख्या की जा सकती थी । अतः हमने उनसे अपने प्रस्तावों का स्पष्टीकरण करने को कहा क्योंकि बिना उनके स्पष्टीकरण किये बिना हम उन पर अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते थे ।

इस बात पर विचार करते हुए भी हमारे सामने मुख्य प्रश्न यही था ८ सितम्बर से पूर्व की स्थिति कायम की जाये । यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हम कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई भी रुख अपनायें अथवा हम उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई भी कदम उठायें तथापि इससे सीमा के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं आयेगा ।

इस प्रयत्न का उद्देश्य यही था कि ऐसी स्थिति पैदा की जाये, जब दोनों पक्ष इस विषय पर विचार कर सकें । ऐसी स्थिति से पहले, हमने यह कहा था कि चीनी ७ सितम्बर, के बाद का अतिक्रमण खाली कर दें । अतः नवम्बर में सदन ने जो संकल्प पारित किया था उसे बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता ।

कोलम्बो देशों ने विवाद के गुणावगुण पर विचार नहीं किया था । उन्होंने केवल बातचीत का रास्ता तैयार किया है और हम तभी बातचीत कर सकते हैं यदि कुछ शर्तें पूरी की जायें ।

ये प्रस्ताव हमारे सीमान्त के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी विभागों के बारे में थे । पूर्वी विभाग के सम्बन्ध में ८ सितम्बर, से पहले की स्थिति यह थी कि चीनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के उत्तर में थे और भारतीय सेनायें दक्षिण में—सुविधा को इसे मेकमहोन लाइन कहा जाता है, सरकारी तौर पर नहीं और न ही इसे मि० मेकमहोन ने बनाया था । उसने इसे वर्तमान सीमान्त माना था । ऊंचे पहाड़ की यह सीमान्त बर्मा तक जाता है । वास्तव में चीनी सरकार ने इसे मान लिया था । अतः ८ सितम्बर से पहले कोई चीनी सेनाएं उस सीमान्त के पार नहीं आई—केवल लांगजू को छोड़ कर, जो कि बिल्कुल सीमान्त पर है । चीनियों ने इस पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया था और बाद में यह सुझाव दिया गया था कि कोई पक्ष इस पर कब्जा न करे । कोलम्बो सम्मेलन प्रस्ताव स्पष्टीकृत रूप में इस स्थिति की पुष्टि करते है केवल थागला रिज क्षेत्र को छोड़ कर, जिसे चीनी चेजंग क्षेत्र कहते है और जहां हमारी ढोला चौकी है । प्रस्तावों में थागला रिज और लांगजू को ऐसे क्षेत्र कहा गया है, जिनका फैसला भारत और चीन सरकार के बीच सीधी बातचीत द्वारा होगा । इन प्रस्तावों के अनुसार थागला रिज क्षेत्र और ढोला

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

चौकी के बारे में, जो मैकमहोन रेखा से तीन मील भीतर है, छोड़ कर पूर्वी क्षेत्र में ८ सितम्बर की स्थिति पूरी तरह कायम हो गई है। प्रस्तावों के अनुसार इस का फैसला सीधी बातचीत द्वारा किया जायेगा। पूर्वी विभाग के बारे में यह स्थिति है।

मध्य क्षेत्र में, कोलम्बो सम्मेलन ने यथापूर्व स्थिति कायम रखने का प्रस्ताव किया है। वह भी भारत सरकार की स्थिति के अनुरूप है कि ८ सितम्बर की रेखा कायम की जाये, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई झगड़ा नहीं हुआ और वर्तमान स्थिति को छोड़ा नहीं गया।

पश्चिमी क्षेत्र : अर्थात् लद्दाख में, ८ सितम्बर की रेखा कायम करने का अर्थ है उन सभी भारतीय चौकियों की पुनस्थापना करना है जो नीले नक्शों में दिखाई गई है। ये नक्शे परिचालित किये जा चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि उपरोक्त नक्शे में लाल रंग में बताये गये स्थानों पर चीनियों की पुरानी चौकियां बनी रहेंगी। कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार चीनी सेनाओं के वापस हटने पर २० किलोमीटर क्षेत्र खाली कर दिया जायेगा और इस क्षेत्र में दोनों देशों की असैनिक चौकियां रहेंगी। यह बात सभा के समक्ष है कि उपरोक्त जिस क्षेत्र में दोनों देशों की असैनिक चौकियां रहेंगी उसमें वह सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें समुदों के पश्चिमी भाग की दो या तीन चौकियों के अतिरिक्त ८ सितम्बर से पहले भारतीय चौकियां वाला सारा स्थान सम्मिलित है। चीनी सेनाओं द्वारा २० किलोमीटर पीछे हटने का अर्थ है इश्पंगूर और उसके सुदूर दक्षिणी भाग में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से कई किलोमीटर पीछे चीनी सेनायें हट जायेंगी। कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव और उनसे सम्बन्धित स्पष्टीकरण ८ सितम्बर के पूर्व की यथावत् स्थिति की मांग को पूरा कर देते हैं। सुमदों के पश्चिम में दो या तीन भारतीय चौकियों के बारे में साधारण हेर फेर है। तथापि यह कमी चीनियों के इस्पांगूर और दक्षिण में पीछे हट जाने से पूरी हो जाती है। इस बात से भी कि बहुत सी चीनी सैनिक चौकियां हट जाने वाले क्षेत्र से हटाई जानी है। यदि माननीय सदस्य नक्शों से स्थिति देखें, तो वे देखेंगे कि यह स्थिति पहली स्थिति अर्थात् ८ सितम्बर से पहले की स्थिति से भी अच्छी है। ८ सितम्बर की स्थिति में उस क्षेत्र में बहुत से चीनी रह जाते थे और हमारी भी कुछ चौकियां थीं। इस तरह चीनियों को बहुत लाभ था। अब यदि कोलम्बो सम्मेलन प्रस्ताव मान लिये जायें, तो उस क्षेत्र में सेनायें नहीं रह जातीं, हमारी और चीनियों की असैनिक चौकियां रह जाती हैं, जिनके पास उतने ही आदमी और शस्त्र होंगे। यह असैनिक या छोटे शस्त्र होंगे। यह स्थिति चीनियों की चौकियां के होने से बहुत अच्छी है।

इन सब बातों पर विचार के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोलम्बो प्रस्ताव हमारे ८ सितम्बर से पहले वाली स्थिति की मांग को पूरा करते हैं। अतः मैंने लंका के प्रधान मन्त्री को एक पत्र भेजा था कि भारत सरकार सिद्धान्त रूप से स्पष्टीकरण के साथ उन प्रस्तावों को स्वीकार करती है और भारत सरकार उन्हें अन्तिम रूप से मानने से पहले उन्हें संसद् के सामने रखेगी।

मैंने लंका के प्रधान मन्त्री को कहा था कि हम चीन सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मुझे आज सुबह लंका के प्रधान मन्त्री से एक सन्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें चीनी प्रतिक्रिया बताई गई है। श्रीमती भण्डारनायके का तार इस प्रकार है :

"शायद माननीय सदस्यों ने चीनी विदेश मन्त्री, मार्शल चेनयी का वक्तव्य पढ़ा होगा, जिसमें लगभग वही बात थी, अर्थात् कोलम्बो प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हुए, कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उन्हें मतभेद है। यह स्पष्ट है कि चीनी सरकार प्रस्तावों को दोनों के लिए मान्य शर्तों का निश्चित आधार नहीं मानती और कुछ मामलों में उस के अपने निर्वचन है। इसका अर्थ है कि उन प्रस्तावों को उसने पूरे तौर पर नहीं माना। किन्तु हमारी ओर से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के

अधिकारियों के बीच तब तक सीधी बातचीत नहीं हो सकती, जब तक, चीनी सरकार सम्पूर्ण रूप से कोलम्बो सम्मेलन प्रस्तावों को और उससे सम्बन्धित स्पष्टीकरणों को नहीं मानती।"

मैं सदन को बताना चाहूंगा कि कोलम्बो सम्मेलन हमारे कहने पर नहीं बुलाया गया था। वास्तव में हमसे यह पूछे बिना किया गया था, केवल हमें निर्णय बताया गया था। फिर लंका सरकार ने हमें बताया कि यह उनके प्रधान मन्त्री द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद हमने लंका सरकार से पत्र-व्यवहार किया है, चीनी सरकार से नहीं। चीनी सरकार से पत्र-व्यवहार करना कोलम्बो का काम है, उसके बाद कोलम्बो हमें बता सकता है। हमारा पक्ष भी कोलम्बो चीनी सरकार को बतायेगा। अब मार्शल चेनयी के वक्तव्य और लंका के प्रधान मन्त्री के सन्देश से स्पष्ट है कि चीनी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों में कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। अतः पूर्ण स्वीकृति नहीं दी गई। जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट न हो, भारत सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती। किन्तु हमें एक निश्चित निर्णय अवश्य करना है। क्या चीनी सरकार के साथ बातचीत के लिए कोई कार्यवाही होगी, इस बात पर निर्भर है कि चीनी सरकार उन्हें स्वीकार करती है।

भारत सरकार ने सदा कहा है कि वे झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करना चाहती है। चीनी बड़े हमले के बावजूद वह बातचीत को एक या अधिक अवस्थाओं में करने के लिए तैयार हैं। मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं कि हम मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को या मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं, यदि इसे मान लिया जाये। कुछ भी हो, हम कोई भी शान्तिपूर्ण तरीका अपनाने के लिए तैयार हैं, यदि बातचीत का आधार पैदा किया जा सके और इसके लिए शर्तें पैदा की जा सकें।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : श्रीमती भण्डारनायके के कहने से ही बातचीत करनी थी तो पहले ही कर ली होती। बीसियों हजार आदमियों को बरबाद क्यों किया ? चीनियों को सीमा से बाहर धकेल दो यह कह कर आप विदेश क्यों चले गये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो हैरान ही गया कि स्वामी जी सब कुछ समझ सकते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने बार बार कहा है कि ८ सितम्बर के अतिक्रमण के हटाये जानें के बाद की शर्तें कायम हो जायेंगी। हमारे इस प्रस्ताव को चीनी सरकार ने अक्तूबर में नहीं माना था बाद में उन्होंने अपने प्रस्ताव के साथ अपने आप पीछे हटने और युद्ध विराम का प्रस्ताव भी जोड़ दिया था। अब कोलम्बो सम्मेलन ने अपने प्रस्ताव दिये हैं, जिससे मुख्यतः ८ सितम्बर से पहले की स्थिति कायम हो जाती है। हमने लंका के प्रधान मन्त्री को बता दिया है कि हम उन प्रस्तावों को और स्पष्टीकरणों को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हैं। उन पर आपत्ति किये बिना या उनको बदले बिना, क्योंकि हमने अनुभव किया था कि या तो उन्हें पूर्णरूप से स्वीकार किया जा सकता या अस्वीकार। यदि उनके कुछ भाग को माना जाये, तो उसका अर्थ अस्वीकृति होगा। अतः हम अनुभव करते हैं कि दोनों सरकारें पहले पूर्णरूप से कोलम्बो प्रस्तावों को मानें, फिर दोनों सरकारें सीधी बातचीत द्वारा शेष मामलों के निपटारे के लिए कदम उठा सकती हैं। हमने यह रुख अपनाया है और मैं समझता हूं कि यही ठीक है, मुझे विश्वास है कि सदन इससे सहमत है कि हम इस आधार पर चलें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

†**एक माननीय सदस्य** : लज्जास्पद।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य को किसी बात पर लज्जा है। उन्हें इसे यहां व्यक्त नहीं करनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वह कह रहे हैं जो अकसर कहते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : गलती से कह दिया गया।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : चीन और भारत की समस्या से ज्यादा महत्व अंग्रेजी का है, आपके लिहाज से ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अतः संक्षिप्त रूप से स्थिति यह है कि हम कोई बातचीत, प्रारम्भिक बातचीत भी नहीं कर सकते, जब तक हम सन्तुष्ट न हों कि ८ सितम्बर से पहले वाली स्थिति बहाल करने की शर्त पूरी न हो जाये। दूसरी बात यह है कि इस शर्त के पूरा होने के बाद भी, बातचीत विभिन्न प्रारम्भिक मामलों के बारे में होगी बाद में अन्य मामले लिये जा सकते हैं। किन्तु हम इस समय मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं कर रहे हैं। वे बदले नहीं हैं।

हमने ८ सितम्बर की रेखा के बहाल करने की मांग की थी, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस रेखा को समझौते का आधार मानते हैं। बिल्कुल नहीं।

श्री रामेश्वरानन्द : हमारे प्रधान मन्त्री जी को सदस्यों पर तो बहुत गुस्सा आ जाता है लेकिन चीन पर नहीं आता हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूं। मगर जो दूसरी तरफ से कहा जाता है वह भी आप समझिये। आप समझिये कि आप पार्लियामेंट में हैं और यहां सीरियस मामलों को कंसिडर कर रहे हैं। यहां कोइ बाहर का जल्सा नहीं हैं। बार बार आप रुकावट न डालें। आप सुन। आपको हक होगा, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, कहने का जब आप बोलेंगे.....

श्री रामेश्वरानन्द : हमें कौन बोलने देगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने लीडर को कहिये कि वह आपका नाम भेजे और इसको आप अपने लीडर पर छोड़ दीजिये। अगर वह नहीं आपका नाम भेजते हैं, तो छोड़ दीजिये उस पार्टी को।

†**श्री बड़े** (खारगौन) : अध्यक्ष एक माननीय सदस्य को कैसे कह सकते हैं कि वे दल छोड़ दे ? यह आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसलिए कह सकता हूं कि वह कहते हैं कि मुझे बोलने कोई नहीं देगा। आप जानते हैं.....

श्री रामेश्वरानन्द : आप नहीं बोलने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि व्हिप पार्टी का ऐसी बात कहता है। जो नाम व्हिप भेजेगा उसी को तो मैं बुलाऊंगा। अगर वह इजाज़त नहीं देता है तो मेरा क्या कसूर है।

श्री रामेश्वरानन्द : जो अनुकूल बोलेगा उसको तो बोलने दिया जाएगा और जो प्रतिकूल बोलेगा उसको धक्के मार निकाल दिया जाएगा।

अध्यक्षय महोदय : जो बार बार इस तरह से खड़ा होता है, उसको भी नहीं बोलने दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : बहुत सुन चुके हैं सत्यनारायण की कथा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे खेद है कि इस मामले को जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल वर्तमान समय के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी, अन्तर्बाधाओं द्वारा निचले स्तर पर लाया जाये ।

मेरा निवेदन है कि वर्तमान विषय यद्यपि यह एक जटिल मामला है और हमने इसको हर पहलू पर विचार करना है, फिर भी हमने नवम्बर में जो संकल्प पारित किया था, उसे हर कीमत पर पूरा करना है और बीच में चाहे कुछ भी हो, हमारी सब कार्यवाही उस संकल्प के अनुरूप होगी । निस्सन्देह हमने कई बार कहा है और आगे भी कहते रहेंगे कि हमारी मूल नीति शान्तिपूर्ण तरीके अपनाने और उनका अनुसरण करने की है । साथ ही साथ हम अपनी आजादी और अखण्डता भी बनाये रखेंगे । ये आधारभूत नीतियां हैं । इनमें कोई भेद नहीं है और न होना चाहिये । किन्तु कुछ लोग.....

श्री राम सेवक यादव : अगर हम उस नीति से अपनी जमीन खो दें तो यह हम को पसन्द नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसलिए वर्तमान प्रश्न को इस दृष्टिकोण से देखना है—पहले यह कि हमारा नवम्बर के संकल्प को पूरा करने का पक्का निश्चय है, साथ ही हम किसी शान्तिपूर्ण तरीके को अस्वीकार नहीं कर सकते । वास्तव में यदि वे शान्तिपूर्ण तरीके हमारे संकल्प, हमारी अखण्डता और आजादी की राह में रुकावट न बने, तो हमें अवश्य उन का अनुसरण करना चाहिये ।

कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं । उन्हें असहमति रखने का अधिकार है । किन्तु हमारी नीति बहुत समय से यही रही है और हमारे विचार में इसे बदलना नहीं चाहिये । नहीं तो यह निष्फल हो जायेगी ।

†**श्री राम सेवक यादव :** यह निष्फल सिद्ध हो ही चुकी है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं किसी सदस्य या दल के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा । हमारी नीति के दो पहलू हैं, जिसका हमने सदा अनुसरण किया है । पहला यह कि समस्याओं के हल के लिए हर स्थान पर शान्तिपूर्ण तरीके अपनाये जायें । दूसरा यह है कि जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आजादी और अखण्डता को बनाये रखें । यदि शान्तिपूर्ण तरीके हमारी आजादी और अखण्डता को बनाये न रख सकें, तो वे व्यर्थ सिद्ध होंगे किन्तु उस आजादी और अखण्डता को बनाये रखने के लिए हमें आक्रान्ताओं को भारत से बाहर निकालना है । इसलिए हम अपनी सेनाओं और सशस्त्र दलों को मजबूत बनाने के लिए और आर्थिक स्थिति को भी मज़बूत बनाने के लिए कदम उठाने हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि यदि कोई बातचीत हुई भी, तो वह प्रारम्भिक बातचीत होगी और कोई नहीं कह सकता कि उनका कोई नतीजा निकले या नहीं, हमारे लिये चीनी सरकार की इमानदारी में यकीन करना बहुत कठिन है, फिर भी हमें उससे व्यवहार करना है । इस बात को स्पष्ट रखते हुए कि हम किसी सैनिक दबाव से नहीं झुकेंगे, हम शान्तिपूर्ण तरीकों को नहीं छोड़ेंगे । यह न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि राज-नयिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी ठोस है, क्योंकि विश्व सैनिक तरीकों और दबाव से समस्याओं का हल करने से तंग आ चुकी है ।

इसी कारण से चीनी हमले का विश्व में इतना विरोध हुआ है । बहुत से देशों ने इस पर आपत्ति की है, किसी ने कम किसी ने अधिक । हम कह सकते हैं कि हमने शान्ति-पूर्ण तरीके अपनाये हैं किन्तु उनसे जिन परिणामों की आशा थी व नहीं निकले इसीलिए

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमें अन्य तरीके अपनाने हैं। हम दूसरे तरीकों की भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए चीन सरकार नहीं बल्कि अन्य देश जो प्रस्ताव करते हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमने उनके सुझावों पर विचार करना है। ऐसा न करना न केवल हमारी नीति की दृष्टिकोण से बल्कि राजनयिक दृष्टिकोण से भी अनुचित होगा।

इस समय हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे कि चीन क्या रुख अपनाता है या नहीं अपनाता। इस समय चीनी सरकार कोलम्बो प्रस्तावों को मोटे तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है इसलिए हम इन पर विचार कर रहे हैं और हमने देखा है कि इन से ७ सितम्बर की स्थिति बहाल हो जाती है। यद्यपि चीनी इन प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, एक-दो मामलों में वे हमारे पक्ष में उनसे भी आगे जाते हैं और इस पर हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

हम अपनी ओर से इसके बारे में कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि चीन सरकार ने भी पग उठाना है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है। मुझे लंका के प्रधान मंत्री को उत्तर देना है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं और उनके सहयोगियों को भी कि हम उनके प्रस्तावों और स्पष्टीकरणों से सहमत हैं। स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चीन सरकार ने इन्हीं पर आपत्ति की है। मुझे आशा है कि सदन मेरे इस उत्तर का अनुमोदन करेगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले मुझे प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत कर लेने दीजिए।

†**श्री डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): प्रस्ताव रखे जाने के पूर्व मैं स्पष्टीकरण के तौर पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारी चर्चा समाप्त होने के पश्चात् दूसरा कदम क्या होगा और वह कोलम्बो सम्मेलन द्वारा उठाया जायेगा अथवा चीनी सरकार द्वारा ?

†**श्री त्यागी** : क्या मैं भी अपना प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सारी बातें भाषणों के दौरान में स्पष्ट हो जायेंगी। प्रधान मंत्री अन्त में उत्तर देंगे। यदि सारे स्पष्टीकरण अभी मांग लिए गये तो फिर चर्चा के लिए क्या रह जायेगा ?

†**श्री त्यागी** : यह तर्क नहीं केवल एक स्पष्टीकरण है जिससे, जो कुछ कहा जाये इसके जानने के बाद ही कहा जाये।

हमने आज के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में कोलम्बो से प्राप्त यह समाचार पढ़ा है कि "चीन ने कोलम्बो सम्मेलन के छः राष्ट्रों द्वारा दिए गये इस सुझाव पर, कि लद्दाख में विवाद-ग्रस्त भारत–चीन सीमा प्रदेश के विसैन्यीकृत क्षेत्र में भारतीय और चीनी पुलिस का संयुक्त शासन हो" आपत्ति उठाई है। यह समाचार विश्वसनीय सूत्र से प्राप्त हुआ बताया गया है। इसमें आगे कहा गया है :

> "चीन द्वारा उठाई गई आपत्ति चीन सरकार के एक ज्ञापन में सम्मिलित थी जिसे लंका की प्रधान मंत्री श्रीमती भंडारनायक ने भारत सरकार को भेज दिया है।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्राप्त हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह वही है जिसका माननीय प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, नहीं। डा० मा० श्री० अणे ने पूछा था कि अगला कदम, अर्थात् जैसा कि मैं समझता हूं, इन मामलों में अगला कदम क्या होगा ? इन मामलों के सम्बन्ध में पहला कदम, इस पर विचार किए जाने के या अगला कदम उठाने के पहले, यह होगा कि कोलम्बो प्रस्ताव दोनों सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए जायें। इनके स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् इन प्रस्तावों को सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने का प्रश्न उठेगा। इसका अर्थ यह होगा कि हमारे कुछ पदाधिकारी अथवा सैनिक पदाधिकारी वहां जाकर देखें कि इन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है और यदि कोई संदेह की बात हो तो हमें सूचित करें। इस सबके किये जाने के पश्चात् चीन और भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा इस विषय पर इसके गुण दोषों के आधार पर विचार करने का प्रश्न उठेगा।

श्री त्यागी ने जो यह कहा है कि इसकी बहुत सी बातों पर चीन सरकार ने आपत्ति उठाई है वह बिल्कुल ठीक है। उस संदेश में जिसे मैंने पढ़कर सुनाया था—उस तार में जिसे श्री चाऊ-एन-लाई ने प्रधान मंत्री श्रीमती भंडारनायक को भेजा था—उन्होंने इसका कुछ आभास दिया हैं। किन्तु मैं समझता हूं कि चीन सरकार ने कई महत्वपूर्ण बातों पर आपत्ति उठाई है उनमें से एक, सेना रहित किए जाने वाले क्षेत्र के बारे में है। हमारे पास ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा गया किन्तु लंका की प्रधान मंत्री को, जब वे पेकिंग से रवाना होने वाली थी, इस बारे में लिखा गया था। उन्होंने हमें वह पत्र दिखाया था। हमें श्रीमती भंडारनायक ने या श्री चाऊ-एन-लाई ने कोई पत्र नहीं लिखा। किन्तु या तो श्री चाऊ-एन-जाई ने या श्री चेन-यी ने—मैं नहीं कह सकता किसने—श्रीमती भंडारनायक को पत्र लिखा था और वह पत्र उन्होंने हमें दिखाया था। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कोलम्बो प्रस्तावों के अनुरूप नहीं थी, उनके विरुद्ध थीं।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या लंका की प्रधान मंत्री जी और कोलम्बो सम्मेलन के दूसरे सदस्यों ने जिन्होंने ये सिफारिशें की थीं हमें यह आश्वासन दिया है कि चीन फिर से आक्रमण नहीं करेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं।

श्री कि० पटनायक : मुझे यह कहना है कि प्राईम मिनिस्टर साहब ने अभी पीसफुल मैथड की बात कही। २० नवम्बर को प्राइम मिनिस्टर ने सदन को कहा था कि चाहे कुछ भी हो, जंग जारी रहेगी जब तक हम बिल्कुल जीत न लें, तो क्या प्राइम मिनिस्टर की जीत हो गई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

इस प्रस्ताव पर कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव भी हैं।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर): अन्य सदस्य भी जिनका नाम इसमें उल्लिखित है इसे प्रस्तुत करना नहीं चाहते।

---

†मूल अंग्रेजी में